न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–12/2021

उनवान

1. रतनलाल पुत्र छोगा जाति बलाई निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

2. नौरती पुत्री छोगा,
3. नाथी पत्नी रामलाल
4., हरि,
5. शिवराज,
6. कनिया पि. रामलाल,
7. सुरज्ञान,
8. महावीर,
9. पप्पू,
10. गीता,
11. राधा,
12. सीता पि0 छोटी जाति खारोल, रामसर, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादी :– 2 से 12 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–2/9/24

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 546 में से 7–7–0 भूमि वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पूर्वज को दिनांक 27.11.75 को ग्राम रामसर में आवंटित की गयी थी, एवं उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पूर्वज छोगा पुत्र चतरा के नाम उप जिला अधिकारी के आदेश से दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा आज दिवस तक वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। बंदोबस्त विभाग ने हाल जमाबंदी बनाते समय हाल खसरा नम्बर 802 र[illegible] व 803 रकबा 0.80 को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुये त्रुटिपूर्ण तरीके से [illegible] दर्ज कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा में से 7–7–0 भूमि का ख[illegible] घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर [illegible] वंर्किग खसरा नम्बर [illegible]मिन रकबा 7–7–0 जरियें नामान्तकरण वंर्किग जमाबंदी में [illegible]ाज नही है। भूमि सिवा[illegible]

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:28:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः वाद खारिज योग्य है।
प्रफोर्मा प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे।
प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व आवंटन के दस्तावेज पेश किये तथा वादी रतनलाल पुत्र छोगा के बयान दर्ज करवाये।
राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख, आवंटन आदेश व अन्य दस्तावेज अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 546/1 रकबा 7–7–0 किस्म बारानी 3 छोगा पुत्र चतरा जाति खारोल नि0 रामसर, नसीराबाद को रामसर में दिनांक 27.11.75 को आवंटित हुयी। वर्किंग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 546/1 के आगे उपजिला अधिकारी दिनांक 27.11.75 को छोगा पुत्र चतरा खारोल नि0 रामसर को 7–7–0 आवंटन होने का नोट भी अंकित है। किन्तु उक्त आवंटन कि पालना जरियें नामान्तकरण दर्ज नही होकर सीधे ही जमाबंदी में नोट लगाने के कारण विधिवत नही है। विधि का सुरथापित सिद्वान्त है कि राजस्व अभिलेख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जरियें नामान्तकरण ही किया जा सकता है। उक्त आवंटन के बाद आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के कोई साक्ष्य व दस्तावेज वादी द्वारा पेश नही किये गये है। वादी/पूर्वज द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने के कारण उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 803 पर धनराज पुत्र भंवरलाल व 802 पर अजीज खां पुत्र छोटू का कब्जा काश्त है। वादी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर नही है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आवंटन के बाद से आराजी मुतनाजा पर कब्जे व आंवटन की अन्य शर्तो की पालना नही किये जाने के कारण ही आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तनकी विरूद्व, वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 802 रकबा 1.52 व 803 रकबा 0.80, है0 आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:28:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रतनलाल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिलिनयम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 12/2021
पेश करने की दिनांक – 18.01.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नितेश यादव मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 802 रकबा 1.52 व 803 रकबा 0.80 है0 आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:28:19 IST
Reason: SelfAttested